राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

-:आवश्यक सूचना:-

(विज्ञापन संख्या-03/2020)

विज्ञापन संख्या-03/2020 के तहत राज्य सरकार के अधीन स्वीकृत **ANM** के संविदागत पदों पर चयन हेतु दिनांक 01 दिसम्बर, 2020 को अभ्यर्थियों का ऑनलाईन Computer Based Test (CBT) लिया गया है। उक्त CBT में प्राप्त अंको के आधार पर Qualified अभ्यर्थियों का Merit के आधार पर Shortlist किया गया है। तदनुसार उक्त पद के लिए Merit के आधार पर 1:2.5 के अनुपात में Shortlisted अभ्यर्थियों का Document Verification/Counselling किया जाना है, जिसे समिति के वेबसाईट-statehealthsocietybihar.org पर अपलोड/प्रकाशित कर दिया गया है (प्रकाशित शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची मेधाक्रम के अनुसार नहीं है।)। सभी संबंधित प्रमाण-पत्रों के सत्यापनोपरांत तदनुसार रिक्ति के अनुसार चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

2. CBT में Shortlisted (Qualified) अभ्यर्थियों के सभी मूल प्रमाण-पत्रों का सत्यापन हेतु Counselling के लिए तिथि/समय/स्थान निम्नलिखित सारणी के अनुसार निर्धारित किया गया है:-

तिथि	समय	Sl. No.	अभ्यर्थियों की संख्या	स्थान
29.09.2021 (बुधवार)	10:00 AM-01:00 PM	001-162	162	राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, (SIHFW) शेखपुरा, पटना-14
	02:00 PM-05:00 PM	163-324	162	
30.09.2021 (गुरूवार)	10:00 AM-01:00 PM	325-486	162	
	02:00 PM-05:00 PM	487-648	162	
01.10.2021 (शुक्रवार)	10:00 AM-01:00 PM	649-810	162	
	02:00 PM-05:00 PM	811-972	162	
04.10.2021 (सोमवार)	10:00 AM-01:00 PM	973-1134	162	
	02:00 PM-05:00 PM	1135-1296	162	
05.10.2021 (मंगलवार)	10:00 AM-01:00 PM	1297-1458	162	
	02:00 PM-05:00 PM	1459-1620	162	
06.10.2021 (बुधवार)	10:00 AM-01:00 PM	1621-1782	162	
	02:00 PM-05:00 PM	1783-1944	162	
07.10.2021 (गुरूवार)	10:00 AM-01:00 PM	1945-2106	162	
	02:00 PM-05:00 PM	2107-2258	152	

- पहले चरण (Morning) में आनेवाले अभ्यर्थियों का **Registration Time 09:30 AM** एवं दूसरे चरण (Afternoon) में आने वाले अभ्यर्थियों का **Registration Time 01:30 PM** निर्धारित किया गया है।
- उक्त निर्धारित तिथि को किसी कारणवश यदि कोई अभ्यर्थी Document Verification/Counselling में उपस्थित नहीं हो पाते है, तो वे विशेष परिस्थिति में निर्धारित तिथि के अगले किसी दिन उपस्थित होकर Document Verification करा सकते है।

3. Shortlisted (Qualified) अभ्यर्थी, उक्त तिथि तक **(प्रकाशित सूची/तिथि के अनुसार)** निम्नांकित **सभी प्रमाण-पत्रों की मूलप्रति एवं उसका एक-एक स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति** अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करें। वर्णित तिथि के उपरांत प्राप्त Documents पर कोई कार्रवाई नही की जाएगी।

(i) दो (02) रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो।

(ii) उक्त परीक्षा का प्रवेश-पत्र **(Admit Card)**

(iii) फोटोयुक्त पहचान-पत्र, यथा-मतदाता पहचान-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि।

(iv) जन्मतिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र।

(v) **Essential Qualification**

- Diploma (2 Years Full Time) in Auxiliary Nurse Midwifery (ANM) training course from a recognized ANM Training Institute.
- Registration of candidates from "Bihar Nurses Registration Council" shall also be necessary.

Scanned with CamScanner

(vi) आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(vii) अनुसूचित-जाति/अनुसूचित-जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण-पत्र एवं मूल निवास प्रमाण-पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य है)।

(viii) पिछड़ा-वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा-वर्ग की स्थिति में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी/राजस्व पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने माता-पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र) एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

(ix) पिछड़ा-वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा-वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने संबंधी घोषणा-पत्र (विगत एक वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र होने पर) का होना अनिवार्य है।

(x) आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित जिलाधिकारी/अंचलाधिकारी/राजस्व पदाधिकारी के स्तर से निर्गत आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य है।

(xi) यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब Document Verification के समय अनुसूचित-जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी/ राजस्व पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(xii) दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार/Medical Board द्वारा निःशक्तता संबंधी प्रमाण-पत्र।

(xiii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण-पत्र।

4. यदि कोई अभ्यर्थी Document Verification में उपरोक्त वर्णित सभी प्रमाण-पत्र नही करते है तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नही दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में यथा समय समुचित निर्णय लेने के लिए समिति स्वतंत्र होगी।

5. उक्त पद हेतु आयु, कार्य अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यता आदि के लिए Cut-off date-01.01.2020 होगी।

6. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि Counselling से संबंधित अद्यतन जानकारी समिति के अधिकृत वेबसाईट पर प्राप्त कर सकते है। उक्त वेबसाईट निरन्तर देखना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है। Shortlisted (Qualified) अभ्यर्थियों को इसकी सूचना SMS/E-mail के माध्यम से दी गयी है। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नही होती है, तो उसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार जिम्मेदार नही होगी।

नोट:-**प्रकाशित शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची मेधाक्रमानुसार नही है।**

> कोई भी व्यक्ति चाहे वह सरकारी अथवा गैर-सरकारी वाह्य व्यक्ति हो, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार में नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे सम्पर्क स्थापित कर ठगी करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे तत्वों के संबंध में अविलंब राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार कार्यालय को सूचित करें। ऐसे किसी तत्वों से संलिप्तता पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

Rajesh 23/9/14

(राजेश कुमार)
उप सचिव-सह-
प्रभारी, मानव संसाधन

Scanned with CamScanner